

Fair Practices Code

Vinayana Investment and Finance Ltd. (hereinafter referred to as "Vinayana / Company"), registered with Reserve Bank of India as a non-deposit taking Non- Banking Financial Company (NBFC-B-14.02841), providing lending / financial support to small and medium entrepreneurs with credit requirements not exceeding **Rs. 1 lac** at a time or any other limit as may be decided by the Board of Directors / committee of the directors of the Company, from time to time.

विनयना इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड (इसके बाद इसे "विनयना/कंपनी" के रूप में संदर्भित किया जाएगा), भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-बी-14.02841) के रूप में पंजीकृत है, जो छोटे और मध्यम उद्यमियों को जिनकी ऋण आवश्यकता एक समय में रु. 1 लाख से अधिक नहीं है या कंपनी के निदेशक मंडल/निदेशकों की समिति द्वारा समय-समय पर तय की जाने वाली कोई अन्य सीमा तक ऋण/वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

Vinayana's financial transactions shall be in the nature of lending to individual shopkeepers for deployment of the funds borrowed in income generation purposes by way of restoring the stock or expansion of existing businesses etc. The objective of Vinayana is to provide a platform to the small and medium entrepreneurs for access to hassle free, quick and easy financing for the growth of their businesses.

विनयना के वित्तीय लेनदेन व्यक्तिगत दुकानदारों के मौजूदा व्यवसायों में स्टॉक भरवाने या उनके विस्तार आदि के माध्यम से आय सृजन उद्देश्यों में ऋण देने की प्रकृति में होंगे। विनयना का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमियों को उनके व्यवसाय के विकास के लिए एक मंच प्रदान करना है जिस से उन्हें परेशानी मुक्त, जल्दी और आसान वित्तपोषण मिल सके I

Vinayana adopts the following Fair Practices Code as means to provide transparency, adequate disclosures on the terms and conditions of a loan, adopting a non-coercive recovery method and clarity to its "borrowers" with regard to their transactions with Vinayana.



विनयना ने पारदर्शिता प्रदान करने, ऋण के नियमों और शर्तों पर पर्याप्त खुलासे करने, गैर-जबरन वसूली पद्धित अपनाने और विनयना के साथ अपने लेनदेन के संबंध में अपने "उधारकर्ताओं" को स्पष्टता प्रदान करने के साधन के रूप में निम्नलिखित उचित व्यवहार संहिता को अपनाया है।

A. Applications for loans and their processing

ए. ऋण के लिए आवेदन और उनका प्रसंस्करण

- i) Vinayana shall have a standard application form for the Borrowers seeking financial assistance from Vinayana, for trading and other purposes as may be decided by the Board of Vinayana from time to time. The Application from shall also indicate the documents required to be submitted with the Application Form and details relating to the interest rate, insurance amount or other charges, if any, charged on the loan applied by the borrower.
- i) विनयना बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय किए गए व्यापार और अन्य उद्देश्यों के लिए विनयना से वित्तीय सहायता चाहने वाले उधारकर्ताओं के लिए विनयना के पास एक मानक आवेदन पत्र होगा।आवेदन पत्र में आवेदन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों और उधारकर्ता द्वारा लागू ऋण पर लगाए गए ब्याज दर, बीमा राशि या अन्य शुल्क, यदि कोई हो, से संबंधित विवरण भी दर्शाया जाएगा।
- ii) The identified borrower shall submit the following documents along with the application in the prescribed format to designated officer or at its designated offices to obtain loan from Vinayana:-
 - KYC Documents such as PAN and Adhaar Card or any other document as prescribed by RBI in support of identity and address of borrower / Spouse / Guarantor
 - 2 Joint Passport size photograph with spouse /elder son
 - 4 Post dated cheques
- ii) उधारकर्ता को विनियाना से ऋण प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज नामित अधिकारी या उसके नामित कार्यालयों में जमा करने होंगे : -



- केवाईसी दस्तावेज़ जैसे पैन और आधार कार्ड या उधारकर्ता / पित / पित / गारंटर की पहचान और पित के समर्थन में आरबीआई द्वारा निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज़
- •जीवनसाथी/बड़े बेटे के साथ 2 संयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो
- 4 उत्तर दिनांकित चेक
- iii) The loan application shall be acknowledged only in writing by way of SMS or otherwise and indicate the time frame within which the loan application will be disposed of by Vinayana.
- iii) ऋण आवेदन केवल एसएमएस के माध्यम से या अन्यथा लिखित रूप में स्वीकार किया जाएगा और उस समय सीमा का संकेत दिया जाएगा जिसके भीतर ऋण आवेदन का निपटारा विनयना द्वारा किया जाएगा।
- iv) Any additional information required shall be intimated to and sought from the Borrower within a reasonable time frame.
- iv) किसी भी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता उचित समय-सीमा के भीतर उधारकर्ता को सूचित की जाएगी और उससे मांगी जाएगी।

B. Loan Appraisal and terms/conditions

बी. ऋण मूल्यांकन और नियम/शर्तें

- i) The designated officer shall fill in the complete information of the applicant and upload the KYC documents obtained from the applicant on the mobile app within the reasonable time frame. Original documents shall be kept in the safe custody at the designated offices of Vinayana.
- i) नामित अधिकारी आवेदक की पूरी जानकारी भरेगा और उचित समय सीमा के भीतर आवेदक से प्राप्त केवाईसी दस्तावेजों को मोबाइल ऐप पर अपलोड करेगा। मूल दस्तावेज़ों को विनयना के निर्दिष्ट कार्यालयों में सुरक्षित रखा जाएगा।



- ii) Vinayana directly or through designated offices shall appraise the loan applications within a reasonable period of time which shall include the credit check of the applicant from the RBI registered Credit information Company(ies) and house / business verification of the borrower by the next level authority.
- ii) विनयना सीधे या नामित कार्यालयों के माध्यम से उचित समय के भीतर ऋण आवेदनों का मूल्यांकन करेगा जिसमें आरबीआई पंजीकृत क्रेडिट सूचना कंपनी (कंपनियों) से आवेदक की क्रेडिट जांच और अगले स्तर के प्राधिकारी द्वारा उधारकर्ता के घर / व्यवसाय का सत्यापन शामिल होगा।
- iii) The credit limit sanctioned (within the overall limit set for each Borrower) along with the terms and conditions, including annualized rate of interest and method of application thereof, and Loan Agreement, shall be communicated to the Borrowers. The acceptance of these terms and conditions shall be kept on record.
- iii) स्वीकृत क्रेडिट सीमा (प्रत्येक उधारकर्ता के लिए निर्धारित समग्र सीमा के भीतर) नियम और शर्तों के साथ, जिसमें वार्षिक ब्याज दर और उसके आवेदन की विधि और ऋण समझौता शामिल है, उधारकर्ताओं को सूचित किया जाएगा। इन नियमों और शर्तों की स्वीकृति को रिकॉर्ड में रखा जाएगा।
- iv) A copy of Loan Agreement with all enclosures shall be furnished to the Borrowers. Loan Agreement shall also mention in bold type face about the penal interest charged for late repayment, if any.
- iv) सभी संलग्नकों के साथ ऋण समझौते की एक प्रति उधारकर्ताओं को प्रस्तुत की जाएगी । ऋण समझौते में देर से भुगतान के लिए लगाए गए दंडात्मक ब्याज, यदि कोई हो, के बारे में मोटे अक्षरों में उल्लेख किया जाएगा।
- v) In case of applications which are found not eligible, as per extant guidelines, the applicant shall be conveyed in writing or through phone or any other communication mode, along with the reason(s) thereof. Such communication shall normally be done within 2 working day of non-consideration.



v) ऐसे आवेदनों के मामले में जो पात्र नहीं पाए जाते हैं, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदक को उसके कारण के साथ लिखित रूप में या फोन या किसी अन्य संचार माध्यम से सूचित किया जाएगा। ऐसा संचार आम तौर पर गैर-विचारण के 2 कार्य दिवस के भीतर किया जाना चाहिए।

C. Disbursement of loans including changes in terms and conditions

सी. नियम और शर्तों में बदलाव सहित ऋण का वितरण

- i) Vinayana shall ensure timely disbursement of loans sanctioned directly in the bank account of the borrowers after the necessary approvals through its head office subject to the borrowers fulfilling the conditions precedent and complying with the disbursement procedure which includes credit check from Credit Information Companies and assessment on other internal parameters.
- i) विनयना अपने प्रधान कार्यालय के माध्यम से आवश्यक अनुमोदन के बाद सीधे उधारकर्ताओं के बैंक खाते में स्वीकृत ऋणों का समय पर वितरण सुनिश्चित करेगा, बशर्ते कि उधारकर्ता पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करें और संवितरण प्रक्रिया का अनुपालन करें जिसमें क्रेडिट सूचना कंपनियों से क्रेडिट जांच और अन्य आंतरिक पैरामीटर पर मूल्यांकन शामिल है।.
- ii) The features of the loan product and its terms and conditions shall be explained to the borrower once again before disbursement by the concerned officer and after the disbursement, signatures of the borrower, spouse and guarantor shall be obtained in the Disbursement Register at the designated office of Vinayana.
- ii) संबंधित अधिकारी द्वारा संवितरण से पहले ऋण उत्पाद की विशेषताओं और इसके नियमों और शर्तों को एक बार फिर उधारकर्ता को समझाया जाएगा और संवितरण के बाद, विनयना के नामित कार्यालय में संवितरण रजिस्टर में उधारकर्ता, पित या पत्नी और गारंटर के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे।
- iii) Any change in the terms and conditions including disbursement schedule, interest rates (other than floating rates), service charges etc. shall be communicated to the borrower. Vinayana shall also ensure that changes in interest rates and charges are levied on disbursements only with prospective effect except those imposed by regulatory/government authority which shall be on back-to-back basis.



iii) संवितरण अनुसूची, ब्याज दरों (फ्लोटिंग दरों के अलावा), सेवा शुल्क आदि सिहत नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा। विनयना यह भी सुनिश्चित करेगा कि ब्याज दरों और शुल्कों में परिवर्तन केवल संभावित प्रभाव से संवितरण पर लगाए जाएंगे, नियामक/सरकारी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए परिवर्तनों को छोड़कर जो बैक-टू-बैक आधार पर होंगे।

D. Post disbursement supervision / obligations

डी. संवितरण के बाद पर्यवेक्षण/दायित्व

- i) Vinayana shall take up pre and post disbursement visits as deemed necessary through its officers or other agencies, if any assigned for the purpose.
- i) विनयना अपने अधिकारियों या अन्य एजेंसियों, यदि इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया है, के माध्यम से आवश्यक समझे जाने पर संवितरण से पहले और बाद में दौरे करेगा।
- ii) Computation of interest, further interest, penal interest, if any and costs & charges shall be done as per the extant policy of Vinayana.
- ii) ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, दंडात्मक ब्याज , यदि कोई हो और लागत और शुल्क की गणना विनयना की मौजूदा नीति के अनुसार की जाएगी ।
- iii) Decision to recall / accelerate payment or performance under the agreement shall be in consonance with the terms of sanction.
- iii) समझौते के तहत भुगतान या प्रदर्शन को वापस लेने/तेज करने का निर्णय मंजूरी की शर्तों के अनुरूप होगा।
- iv) Vinayana shall release all securities (PDCs etc.) on repayment of all dues or on realisation of the outstanding amount of loan within 10 working day, subject to any legitimate right or lien for any other claim, Vinayana may have against Borrower / securities. If such right to set off is to be exercised, the Borrower shall be given notice about the same with full particulars about the remaining claims and the conditions under which Vinayana is entitled to retain the securities till the relevant claim is settled/paid.



iv) विनयना सभी बकाया राशि के पुनर्भुगतान पर या 10 कार्य दिवस के भीतर ऋण की बकाया राशि की वसूली पर सभी प्रतिभूतियों (पीडीसी आदि) को जारी कर देगा , जो किसी भी वैध अधिकार या किसी अन्य दावे के लिए ग्रहणाधिकार के अधीन है, विनयना उधारकर्ता / प्रतिभूतियों के खिलाफ हो सकता है। यदि प्रस्थान करने के ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जाना है, तो उधारकर्ता को शेष दावों और उन शर्तों के बारे में पूर्ण विवरण के साथ नोटिस दिया जाएगा जिनके तहत विनयना प्रासंगिक दावे का निपटान/भुगतान होने तक प्रतिभूतियों को बनाए रखने का हकदार है।

E. General

ई. जनरल

- i) All communications to the Borrowers shall be made in Hindi / English or bilingual (English and Hindi) or a language as understood by the borrower in writing in the form of letter, email, SMS, or by way of any other electronic means and shall be communicated directly or by display in Vinayana's website / its premises.
- i) उधारकर्ता को सभी संचार हिंदी/अंग्रेजी या द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) या उसके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में पत्र, ईमेल, एसएमएस या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विनयना की वेबसाइट/इसके परिसर में सीधे या प्रदर्शन द्वारा लिखित रूप में किया जाएगा।
- ii) Vinayana shall refrain from interference in the affairs of the Borrowers, except for what is provided in the terms and conditions of the loan / loan documents (unless new information, not earlier disclosed by the Borrower has come to the notice of Vinayana).
- ii) विनयना ऋण/ऋण दस्तावेजों के नियमों और शर्तों में प्रदान की गई बातों को छोड़कर, उधारकर्ताओं के मामलों में हस्तक्षेप करने से परहेज करेगा (जब तक कि नई जानकारी, जो उधारकर्ता द्वारा पहले प्रकट नहीं की गई हो, विनयना के ध्यान में नहीं आती है)।
- iii) The designated officer(s) at the field shall be trained to make necessary enquiries with regard to existing debt of the borrowers.
- iii) क्षेत्र में नामित अधिकारियों को उधारकर्ताओं के मौजूदा ऋण के संबंध में आवश्यक पूछताछ करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।



- iv) Training if any, offered to the borrowers shall be free of cost. Field staff shall be trained to offer such training and also make the borrowers fully aware of the procedure and systems related to loan / other products.
- iv) उधारकर्ताओं को दिया जाने वाला प्रशिक्षण, यदि कोई हो, निःशुल्क होगा। फील्ड स्टाफ को इस तरह का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और उधारकर्ताओं को ऋण/अन्य उत्पादों से संबंधित प्रक्रिया और प्रणालियों के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया जाएगा।
- v) In the matter of recovery of loans, Vinayana shall follow the well-established & lawfully accepted practices.
- v) ऋणों की वसूली के मामले में, विनयना अच्छी तरह से स्थापित और कानूनी रूप से स्वीकृत प्रथाओं का पालन करेगा।
- vi) Vinayana will ensure that its staffs are adequately trained to deal with the customers in an appropriate manner without resorting to rude behavior.
- vi) विनयना यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी अशिष्ट व्यवहार का सहारा लिए बिना ग्राहकों के साथ उचित तरीके से व्यवहार करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।
- vii) Vinayana shall not charge foreclosure charges/ pre-payment penalties on any term loan sanctioned / disbursed to individual borrowers.
- vii) विनयना व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को स्वीकृत/वितरित किसी भी सावधि ऋण पर फौजदारी शुल्क/पूर्व-भुगतान जुर्माना नहीं लगाएगा।
- viii) All sanctioning and disbursement of loans should be done only at our central location and there should be close supervision of the disbursement function.
- viii) ऋणों की सभी मंजूरी और संवितरण केवल हमारे केंद्रीय स्थान पर किया जाना चाहिए और संवितरण समारोह की कड़ी निगरानी होनी चाहिए।



- ix) In case of receipt of request from the Borrowers for transfer of account, which proposes to take over the account the consent or otherwise of Vinayana, if any, shall normally be conveyed within 21 working days from the date of receipt of request. Such transfer shall be as per transparent contractual terms in consonance with law.
- ix) विनयना की सहमति या अन्यथा , यदि कोई हो, तो आम तौर पर अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 21 कार्य दिवसों के भीतर सूचित किया जाएगा। ऐसा स्थानांतरण कानून के अनुरूप पारदर्शी अनुबंध शर्तों के अनुसार होगा।
- x) Information submitted by Borrower shall be generally kept confidential and not disclosed to any third party without their consent. The term third party excludes all law enforcement agencies, Reserve Bank of India, Credit Information Bureau, other Banks, Financial Institutions and other such bodies empowered to obtain such information under applicable provisions of law.
- x) उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी आम तौर पर गोपनीय रखी जाएगी और उनकी सहमित के बिना किसी तीसरे पक्ष को इसका खुलासा नहीं किया जाएगा। तृतीय पक्ष शब्द में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां, भारतीय रिज़र्व बैंक, क्रेडिट सूचना ब्यूरो, अन्य बैंक, वित्तीय संस्थान और ऐसे अन्य निकाय शामिल नहीं हैं जो कानून के लागू प्रावधानों के तहत ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए सशक्त हैं।

F. Grievance Redressal Mechanism एफ. शिकायत निवारण तंत्र

(i) The Borrowers may write to Vinayana, at following address, in case of any dispute arising out of its Fair Practices Code by clearly stating the nature of their grievance along with necessary documents, if any;

Name	Mr. Vivek Kumar Jayasaval
Designation	Director
Address	1C/803, Vardan Khand, Sector-1, Gomti Nagar
	Vistar, Lucknow-226010, U.P.
Contact details	1800 5320 162
Email id	vivek@vinayanafinance.com



i) उचित व्यवहार संहिता से उत्पन्न किसी भी विवाद के मामले में, उधारकर्ता आवश्यक दस्तावेजों, यदि कोई हो, के साथ अपनी शिकायत की प्रकृति को स्पष्ट रूप से बताते हुए, निम्नलिखित पते पर विनयना को लिख सकते हैं ;

नाम	श्री विवेक कुमार जयसावल
पद का नाम	निदेशक
पता	1सी/803, वरदान खंड, सेक्टर-1, गोमती नगर विस्तार,
	लखनऊ-226010, यूपी
सम्पर्क करने का	1800 5320 162
विवरण	
ईमेल आईडी	vivek@vinayanafinance.com

- (ii) The grievances of Borrowers including persons with disabilities shall be addressed and dealt with in the manner as provided for, in the internal grievance redressal policy adopted by Vinayana.
- ii) विकलांग व्यक्तियों सिहत उधारकर्ताओं की शिकायतों को विनयना द्वारा अपनाई गई आंतरिक शिकायत निवारण नीति में दिए गए तरीके से संबोधित और निपटाया जाएगा।
- (iii) If the complaints / disputes are not redressed within the reasonable time, the Borrower may appeal to the Officer-in-Charge of the Regional Office of DNBS of RBI, New Delhi within whose jurisdiction the registered office of Vinayana is currently situated. The contact details of regional office of RBI are as follows;

Designation	General Manager	
Contact Address	Department of Non-Banking Supervision (DNBS),
	Reserve Bank of India,	
	6, Sansad	Marg,
	New Delhi - 110 001, India	
Contact No.	Tel: +91 11 2371 4456, 2373 9318, 2371 9466	
Email id	dnbsnewdelhi@rbi.org.in	

iii) यदि शिकायतों/विवादों का निवारण उचित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो उधारकर्ता आरबीआई, नई दिल्ली के डीएनबीएस के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी से अपील कर सकता है, जिसके अधिकार



क्षेत्र में विनयना का पंजीकृत कार्यालय वर्तमान में स्थित है । आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय का संपर्क विवरण इस प्रकार है;

पद का नाम	महाप्रबंधक
संपर्क पता	गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस), भारतीय रिजर्व
	बैंक,
	6, संसद मार्ग,
	नई दिल्ली - 110 001, भारत
संपर्क नंबर।	फ़ोन: +91 11 2371 4456, 2373 9318, 2371 9466
ईमेल आईडी	dnbsnewdelhi@rbi.org.in

G. Regulation of excessive interest

जी. अत्यधिक ब्याज का विनियमन

- i) Vinayana shall lay out the appropriate internal principles and procedures in determining interest rates, processing fee and other charges taking into account relevant factors such as cost of funds, operating costs, margin and risk premium or as advised by the Regulator.
- i) विनयना फंड की लागत, परिचालन लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम जैसे प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए या नियामक द्वारा सलाह के अनुसार ब्याज दरों, प्रसंस्करण शुल्क और अन्य शुल्कों को निर्धारित करने में उचित आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं तैयार करेगा।
- ii) The Company shall charge uniform interest rate from the all borrowers without any discrimination and it shall not charge different rate of interest to different categories of borrowers such as physically / visually challenged applicants on grounds of disability. All necessary possible assistance shall be provided by the concerned officer at the designated office for availing of the various business facilities to such persons.
- ii) कंपनी बिना किसी भेदभाव के सभी उधारकर्ताओं से एक समान ब्याज दर वसूल करेगी और यह विकलांगता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं जैसे शारीरिक / दृष्टिबाधित आवेदकों से



अलग-अलग ब्याज दर नहीं लेगी। ऐसे व्यक्तियों को विभिन्न व्यावसायिक सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए नामित कार्यालय में संबंधित अधिकारी द्वारा सभी आवश्यक संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

- iii) The rate of interest shall be annualized rate so that the borrower is aware of the exact rates that would be charged to the account.
- iii) ब्याज की दर वार्षिक दर होगी ताकि उधारकर्ता को सटीक दरों के बारे में पता हो जो खाते से ली जाएंगी।
- iv) The rate of interest charge shall be displayed at the website and /or at each branch premises of the Company. Any change in the interest rate will be updated at the notice Board of the office premise and explicitly communicated to borrower immediately.
- iv) ब्याज शुल्क की दर कंपनी की वेबसाइट और/या प्रत्येक शाखा परिसर में प्रदर्शित की जाएगी। ब्याज दर में कोई भी बदलाव कार्यालय परिसर के नोटिस बोर्ड पर अद्यतन किया जाएगा और तुरंत उधारकर्ता को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा।
- v) Vinayana shall not introduce any additional component to the rate of interest and ensure compliance to RBI guidelines in both letter and spirit.
- v) विनयना ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक शामिल नहीं करेगा I आरबीआई दिशानिर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें।
- vi) Vinayana shall not charge any penal charges for non-compliance of material terms and conditions of loan agreement / contract or late payments by the borrowers.
- vii) विनयना ऋण समझौते/अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने या उधारकर्ताओं द्वारा देर से भुगतान करने के लिए कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लेगा ।

H. Reporting to Board of Directors एच. निदेशक मंडल को रिपोर्ट करना

The Board of Directors of Vinayana shall provide for periodical review of compliance of Fair Practices Code and functioning of the grievances redressal mechanism at various levels of



management. A consolidated report of such reviews may be submitted to the Board at regular intervals, as may be decided by the Board.

विनयना का निदेशक मंडल उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन और प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र के कामकाज की समय-समय पर समीक्षा प्रदान करेगा। ऐसी समीक्षाओं की एक समेकित रिपोर्ट बोर्ड को नियमित अंतराल पर प्रस्तुत की जा सकती है, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

I. Code of Conduct of Vinayana विनयना की आचार संहिता

Vinayana shall also put in place its own Code of Conduct for its staff and business activities, which shall be followed in true spirit to carry out ethical, social, professional conduct in business activities and practices to bring the organization to the next level.

विनयना अपने कर्मचारियों और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अपनी स्वयं की आचार संहिता भी बनाएगी, जिसका संगठन को अगले स्तर पर लाने के लिए व्यावसायिक गतिविधियों और प्रथाओं में नैतिक, सामाजिक, व्यावसायिक आचरण करने के लिए सच्ची भावना से पालन किया जाएगा।

This Fair practice code is subject to revision based on RBI Guidelines as may be issued or amended from time to time.

यह उचित व्यवहार संहिता आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर संशोधन के अधीन है, जिन्हें समय-समय पर जारी या संशोधित किया जा सकता है।

//**//**//